

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवामे,

प्रबन्धक

कूबा इन्टरनेशनल स्कूल
उसरहटा शाहगंज जौनपुर

पत्रांक / मान्यता / 1638-41 / 2017-18 दिनांक 30.5.17

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी/ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/ संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उठप्र० शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आदेश संख्या-419/76-6-2013-18 (20)91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 20.05.2107 के अनुक्रम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से कूबा इन्टरनेशनल स्कूल उसरहटा शाहगंज जौनपुर को 30.05.2017 से 29.05.2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्ति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है -

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता विवादित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपांचं 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपांचं 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का राग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड घरीका उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्तिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा अंतिम निरीक्षण के साथ रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

Principal

Quba International School
Usrahta Azad Ahahganj
Aff.no. 2133218, School Code: 71470

Manager


Quba International School
Usrahta Azad Ahahganj
Aff.no. 2133218, School Code: 71470

कुल निर्मित क्षेत्र।
 कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल ।
 कक्षाओं की संख्या ।
 प्राव्यापक—सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष।
 बालकों और बालिकाओं के पृथक शौचालय।
 पेयजल सुविधा ।
 मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई ।
 बाधा रहित पहुंच ।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनों लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किरी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यासा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह का संगम किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक X है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रवन्ध तन्त्र द्वारा प्रत्युत पत्रजात / अगिलेख किसी भी स्तर पर कूट रघित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय


 (शिवेन्द्र प्रताप सिंह)
 जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
 जौनपुर।

पृ०सं०/मान्यता / १६३८.५।

/2017-18 दिनांक—उक्तावत ।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव उम्प्रो वेसिक शिक्षा निदेशक इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकाराखण्ड / नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और स्थान प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रगाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि रिष्ट्रिक्टि में एक सपाह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।
4. कार्यालय प्रति ।

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)
 जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
 जौनपुर।